

11/03/2005

इरकॉन के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों
के लिए आचार संहिता
(1 अप्रैल 2005 से प्रभावी)

हम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के निदेशक मंडल (बीओडी/बोर्ड) के सदस्य एतद्वारा नीचे प्रस्तुत आचार संहिता को लिखित एवं भावात्मक रूप स्वीकार करते हैं और समझते हैं, जिसे निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2005 की अपनी बैठक में विधिवत रूप से स्वीकार किया गया है:-

1. युक्तिसंगत नियमितता के साथ बोर्ड/इसकी समितियों की सभी बैठकों में उपस्थित होना; ऐसी बैठकों में मुक्त और स्वतंत्र मन से शामिल होना, पर्याप्त समय, ऊर्जा समर्पित व ध्यान केन्द्रित करना, तथा उपयुक्त रूप से जानकारी रखने और निदेशक मंडल द्वारा सुदृढ नीति निर्धारण को संभव बनाने के लिए युक्तिसंगत स्तर पर प्रश्न करना।
2. इरकॉन के सर्वोत्तम हित में अपने दायित्वों का निर्वाहन करते समय और अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय ईमानदारी, न्यायपूर्ण विधिवत ध्यान तथा तत्परता से तथा दल भावना में कार्य करना।
3. उस रूप में कार्य करना जो सामान्य रूप से निदेशक पद और विशिष्ट रूप से कंपनी के गौरव व प्रतिष्ठा को सुनिश्चित, अनुरक्षित और संवर्धित करे।
4. लिखित और भावात्मक रूप से देश में लागू सभी कानूनों और उनके अंतर्गत निर्मित नियमों और विनियमों का आदर करना और उनका अनुपालन सुनिश्चित करना।
5. निदेशक के रूप में प्राप्त सूचना की गोपनीयता को सुनिश्चित करना और कंपनी द्वारा प्राधिकृत किए जाने या कानून द्वारा यथापेक्षित होने पर ही उसका प्रकटन करना।
6. प्राप्त सूचना का अनुचित प्रयोग नहीं करना और व्यक्तिगत लाभ के लिए निदेशक पद का फायदा नहीं उठाना।

7. व्यक्तिगत हितों का इरकॉन के हितों के साथ टकराव की स्थिति से बचना और ऐसी किसी गतिविधि में लिप्त न होना जो कंपनी के प्रति निदेशक के रूप में अपने दायित्वों/उत्तरदायित्वों के टकराव में हों।
8. इरकॉन के निदेशक के पद पर रहते हुए किसी अन्य कंपनी के बोर्ड में निदेशक का पद स्वीकार न करना जो इरकॉन के व्यवसाय में प्रतिस्पर्धी हो।
9. अपने अधीनस्थों के निष्पादन के मूल्यांकन और उनके विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराने सहित मेरे क्षेत्र में मेरे दायित्वों का निर्वाहन करते समय मेरे स्वतंत्र विवेक को बाधित करने वाले किसी पूर्वधारण, पूर्वाग्रह, भय या पक्षपात को अनुमति न दे।
10. समाज और पर्यावरण के प्रति अपने उत्तरदायित्वों के प्रति संवेदनशील रहे।